

प्रेषक,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
रिंग रोड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ.नि./ पंजी./ कृषि यंत्र/ 2019-20 देहरादून दिनांक, 21, जून, 2019

विषय:-कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों के मूल विनिर्माताओं के सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु विज्ञाप्ति
के प्रकाशन विषयक।

महोदय,

आपको इस निदेशालय द्वारा कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों के मूल विनिर्माताओं के सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु विज्ञाप्ति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया इस सूचीबद्ध/पंजीकरण सूचना को न्यूनतम पठनीय साईज अथवा संलग्न साईज के अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं उत्तर उजाला हिन्दी संस्करण में तत्काल प्रकाशित करने का कष्ट करें। इस विज्ञाप्ति को नियमानुसार समयान्तर्गत प्रकाशित करने हेतु प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(गौरी शंकर)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

पत्रांक:-कृ.नि./ 1430 /पंजी./ कृषि यंत्र/ 2019-20 /तददिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. भण्डार सहायक कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।
2. कैशियर कृषि निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. श्री सुपर्ण सेमवाल, कनिष्ठ सहायक, कृषि निदेशालय को इस निर्देश के साथ कि पंजीकरण संबंधी विज्ञाप्ति को वेबसाईट www.uk.gov.in तथा www.agriculture.uk.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून विज्ञप्ति

कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों के मूल विनिर्माताओं के सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु सूचना संख्या-1

कृषि विभाग उत्तराखण्ड की विभिन्न अनुदानित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य के कृषकों को वितरित किए जाने वाले यंत्रों/उपकरणों के ऐसे विनिर्माताओं (Original Manufacturer) से सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि आई०एस०आई०/बी०एस०आई०/FMTTI/किसी मान्यता प्राप्त संस्था से परीक्षित हो, मार्क यंत्रों का निर्माण करते हों अथवा इन यंत्रों को अपने रजिस्टर्ड ब्राण्ड नेम से विनिर्मित करते हों। प्रदायकों को सूचीबद्ध/पंजीकरण दिनांक से एक वर्ष तक के लिए किया जाएगा। सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तें एवं आवेदन पत्र जिसका शुल्क रु० 2000/- (रूपये दो हजार मात्र) होगा, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर देहरादून से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 22.07.2019 तक (सांय 5:00 बजे तक) प्राप्त किए जा सकते हैं। तदनुसार दिनांक 23.07.2019 को सांय 5:00 बजे तक सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु कृषि निदेशालय में जमा किए जा सकेंगे। जिन प्रदायकों के यंत्रों/उपकरणों का पंजीकरण पूर्व में हुआ है एवं सूचीबद्ध/पंजीकरण तिथि अगस्त 2019 में समाप्त हो रही है साथ ही साथ यंत्रों की टेस्ट रिपोर्ट भारत सरकार के निर्देशानुसार समाप्त हो रही है, उनकों भी सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु प्रपत्र उपलब्ध कराना होगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट www.agrimachinery.nic.in पर विनिर्माता सूचनाएं सीधे अपलोड भी करेंगे।

ह०/कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड।